भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 727
जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक उत्पादन संबंधी विशेष अभियान 4.0 का प्रभाव

727. **डॉ. जयंत कुमार राय:**
श्री कंवर सिंह तंवर:
श्री विजय बघेल:
श्री आलोक शर्मा:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री जुगल किशोर:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री नव चरण माझी:
श्री भर्तृहरि महताब:
डॉ. भोला सिंह:
श्री शिवमंगल सिंह तोमर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष अभियान 4.0 का प्रभाव उर्वरक उत्पादन, वितरण, अथवा आपूर्ति श्रृंखला कार्यक्षमता पर पड़ता है और इससे किसानों अथवा उर्वरकों के अंतिम उपयोगकर्ताओं को सीधे लाभ प्राप्त हुआ है;
(ख) यदि हां, तो इससे किसानों को हुए लाभ को दर्शाते हुए सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और बेमेतरा जिला सहित राज्यवार और जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को उर्वरकों की कमी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो वितरण अंतर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) उर्वरक आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ड.) किसानों को उर्वरकों की पारदर्शी और समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग प्रणालियों की प्रगति क्या है?

<u>उत्तर</u>
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): उर्वरक विभाग द्वारा विशेष अभियान 4.0 संचालित किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा दिनांक 22.08.2024 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को कार्य प्रणाली का हिस्सा बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करना था। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) को विशेष अभियान 4.0

के तहत स्वच्छता स्थलों के रूप में अभिचिह्नित किया गया था, जिसका उद्देश्य पीएमकेएसके को स्वच्छ परिसरों, बढ़ी हुई सुविधाओं और किसानों के लिए आसान पहुंच के साथ बेहतर बनाना था।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य सहित, चालू रबी मौसम 2024-25 के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं -

i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आबंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है।

(घ): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-III यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कार्यकुशल हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान की 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) बढ़कर वर्ष 2023-24 में 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई के पुनरुद्धार के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने आरएसी के अतिरिक्त स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ाकर अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)–2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटी अधिक हुआ है। इन उपायों से यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 314.07 एलएमटी का रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है।

पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 1.4.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत, अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनमें पोषक-तत्व मात्रा के आधार पर वार्षिक/द्विवार्षिक आधार पर सब्सिडी की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है। पीएण्डके क्षेत्र विनियंत्रित है और उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन/आयात करती हैं।

आयातित उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) अनुरोधों के आधार पर, उत्पादन को बढ़ावा देने और उर्वरक उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को अभिचिह्नित किया गया है/रिकॉर्ड में लिया गया है।

(ii) शीरे से प्राप्त पोटाश(पीडीएम), जो 100% स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, को पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

(iii) एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, पर माल भाड़ा सब्सिडी, मृदा में फास्फेटयुक्त या 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ, 2022 से लागू है।

(ड.): वर्ष 2016 में, उर्वरक विभाग ने एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है जो एक वृहद और सर्व-समावेशी प्रौद्योगिकी समाधान है, जिसे देश भर में उर्वरकों के वितरण के शुरू से अंत तक के संचलन और सब्सिडी प्रबंधन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने, उसकी निगरानी और नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ई-उर्वरक एक व्यापक प्रणाली है जहां उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला के सभी कार्यकलाप अभिसारित हो जाते हैं और डाटा इंटरकनेक्टेड होता है तथा एक ही प्लेटफार्म के माध्यम से इसे प्रबंधित किया जाता है। उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर, इस प्रणाली से केंद्र और राज्य सरकारों, उर्वरक निर्माताओं, स्टॉक पॉइंटों, डीलरों और अंत के खरीदारों के बीच सहयोग बढ़ता है। इस एकीकरण से सरकार लागत कम करके, दक्षता में सुधार करके और आधार कार्ड-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करके प्रत्येक उर्वरक बिक्री को अधिकृत करते हुए इष्टतम वितरण कर सकती है।

******

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 07.02.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं.727 के उत्तर के भाग (क) से (ग) से संबंधित है।

चालू रबी मौसम 2024-25 (01.10.2024 से 29.01.2025 तक) के दौरान उर्वरकों की मांग,उपलब्धता, खपत तथा अंतिम स्टॉक					
क. यूरिया					
(आंकड़े एलएमटी में)					
क्र. सं.	राज्य	मांग	उपलब्धता	खपत	अंतिम स्टॉक
1	मध्य प्रदेश	19.40	21.84	18.73	3.11
2	छत्तीसगढ़	1.90	2.78	1.51	1.26
3	अखिल भारत	148.15	197.04	154.21	42.84
ख.डीएपी					
(आंकड़े एलएमटी में)					
क्र. सं.	राज्य	मांग	उपलब्धता	खपत	अंतिम स्टॉक
1	मध्य प्रदेश	7.47	6.66	5.55	1.12
2	छत्तीसगढ़	0.60	1.03	0.61	0.42
3	अखिल भारत	45.93	52.77	43.93	8.84
ग.एमओपी					
(आंकड़े एलएमटी में)					
क्र. सं.	राज्य	मांग	उपलब्धता	खपत	अंतिम स्टॉक
1	मध्य प्रदेश	0.49	1.09	0.57	0.52
2	छत्तीसगढ़	0.12	0.46	0.12	0.34
3	अखिल भारत	9.11	18.52	9.35	9.17
घ.एनपीकेएस					
(आंकड़े एलएमटी में)					
क्र. सं.	राज्य	मांग	उपलब्धता	खपत	अंतिम स्टॉक
1	मध्य प्रदेश	5.20	5.72	4.82	0.90
2	छत्तीसगढ़	0.48	0.73	0.36	0.37
3	अखिल भारत	60.38	81.23	58.40	22.82

******